

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

परिवाद संख्या 29/2017

सरकार जरीये श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर

प्रार्थी

बनाम्

1. आसकरण उपाध्याय पुत्र श्री कन्हैयालाल उपाध्याय (एफ.बी.ओ./मालिक)
मैसर्स- ए0एस0 ट्रेडिंग कम्पनी, नरसिंह जी की प्याउ के पास, माता का थान रोड, जोधपुर
निवासी- नरसिंह जी की प्याउ के पास, माता का थान रोड, जोधपुर

अप्रार्थीगण

आदेश

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.08.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलो में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने तथा कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर के आदेश क्रमांक डी.एम. कोर्ट/रीडर/2012/1018 दिनांक 5.06.2012 के द्वारा तहसील जोधपुर के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता को न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप श्री राजेश टिंकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण श्री आसकरण उपाध्याय पुत्र श्री कन्हैयालाल उपाध्याय मैसर्स- ए0एस0 ट्रेडिंग कम्पनी, नरसिंह जी की प्याउ के पास, माता का थान रोड, जोधपुर निवासी- नरसिंह जी की प्याउ के पास, माता का थान रोड, जोधपुर ने सब स्टेन्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघन किया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51,52,58 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ परिवाद पेश करने का अभिहित अधिकारी प्राधिकृत पत्र, अधिसूचना (खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां), पदस्थापन आदेश कार्यक्षेत्र,

मैसर्स- ए0एस0 ट्रेडिंग कम्पनी, नरसिंह जी की प्याउ के पास, माता का थान रोड, जोधपुर
निवासी- नरसिंह जी की प्याउ के पास, माता का थान रोड, जोधपुर

अप्रार्थीगण

आदेश

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.08.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलो में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने तथा कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर के आदेश क्रमांक डी.एम. कोर्ट/रीडर/2012/1018 दिनांक 5.06.2012 के द्वारा तहसील जोधपुर के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता को न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप श्री राजेश टिंकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण श्री आसकरण उपाध्याय पुत्र श्री कन्हैयालाल उपाध्याय मैसर्स- ए0एस0 ट्रेडिंग कम्पनी, नरसिंह जी की प्याउ के पास, माता का थान रोड, जोधपुर निवासी- नरसिंह जी की प्याउ के पास, माता का थान रोड, जोधपुर ने सब स्टेन्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघन किया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51,52,58 के तहत जुमाने योग्य अपराध है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ परिवाद पेश करने का अभिहित अधिकारी प्राधिकृत पत्र, अधिसूचना (खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों), पदस्थापन आदेश कार्यक्षेत्र, संशोधित नोटिफिकेशन, अधिसूचना कार्यक्षेत्र, प्रपत्र-5ए, नमूना खरीद की रसीद, मौका फर्द, अभिग्रहण प्रारूप-2, अभिग्रहण आदेश प्रारूप-3, पहचान पत्र श्री आसकरण, एफएसएसआई अनुज्ञा पत्र 12216032000314 ए.एस. ट्रेडिंग कम्पनी, वेट-03 प्रमाण-पत्र ए.एस. ट्रेडिंग कम्पनी,



नमूना एडी-449 खाद्य विश्लेषक को जमा रसीद, नमूना एडी-449 खाद्य विश्लेषक को सिल्ड लिफाफा प्रारूप VI जमा रसीद, नमूना एडी-449 के द्वितीय, तृतीय सिल्ड भाग अभिहित अधिकारी को जमा, प्रारूप VI, नमूना संख्या एडी-449 का चतुर्थ सिल्ड भाग अभिहित अधिकारी को जमा, सिजर की सूचना अभिहित अधिकारी, जोधपुर, जांच रिपोर्ट अग्रेषण पत्र 539-540 जांच रिपोर्ट फार्म बीएलएस 1000/एक्ट/2016/1072, श्री आसकरण को घी (अनुज) की अग्रिम खरीद बिल पेश करने हेतु लिखा पत्र, श्री आसकरण द्वार दिया गया प्रत्यौत्तर मय संलग्न कागजात की छायाप्रतियां संलग्न कर प्रस्तुत की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किये गये परिवाद के अनुसार दिनांक 28.08.2016 को 06.00 पी.एम पर श्री आसकरण उपाध्याय पुत्र श्री कन्हैयालाल उपाध्याय मैसर्स- ए0एस0 ट्रेडिंग कम्पनी, नरसिंह जी की प्याउ के पास, माता का थान रोड, जोधपुर निवासी- नरसिंह जी की प्याउ के पास, माता का थान रोड, जोधपुर की दुकान/निर्माण स्थल पर विक्रेता की हेसियत से उपस्थित मिलने पर श्री आसकरण उपाध्याय को परिचय देते हुए परिचय पत्र दिखाया गया। मालिक/विक्रेता से वर्ष 2016 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, इन्होंने पहचान पत्र, एफएसएसआई अनुज्ञा पत्र 12216032000314,वेट-03 प्रमाण -पत्र पेश किया।

उपरोक्त दूकान/निर्माण स्थल का निरीक्षण करने पर घी (उत्सव) के 1 लीटर के 48 पैकटस (3 कार्टून) आम जनता को विक्रेय हेतु रखा हुआ था। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाह के विक्रेता को इसकी सूचना जरिये प्रपत्र 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5 ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता एवं गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना वास्ते जांच एफ.एस.एस. एक्ट के तहत कराने हेतु खरीदा जा रहा है। प्रपत्र 5ए पर मेरे, विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर है।

रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को उनके द्वारा बताये गये बाजार भाव से रुपये 1100/- नगद देकर घी (उत्सव) 1 लीटर के 04 पैकटस खरीदी एवं रुपयों की रसीद/केश मेमो प्राप्त की जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा घी (विजेता) 1 लीटर के 4 पैकटस चार नमूना भाग बनाकर लेबल तैयार किया। लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एडी-449 दर्ज करते हुए प्रत्येक लेबल पर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर चारो नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। नमूनों पर एडी-449 चार पेपर स्लिप एडी-449 हस्ताक्षर युक्त जिला अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर चिपकाई एवं चारों नमूनों पर अपने एवं विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये। मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में स्वयं, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। कार्यालय पंहच कर फार्म नम्बर 6 की 8 प्रतियां

दिनांक 28.08.2016 को 06.00 पी.एम पर श्री आसकरण उपाध्याय पुत्र श्री कन्हैयालाल उपाध्याय मैसर्स- ए0एस0 ट्रेडिंग कम्पनी, नरसिंह जी की प्याउ के पास, माता का थान रोड, जोधपुर निवासी- नरसिंह जी की प्याउ के पास, माता का थान रोड, जोधपुर की दुकान/निर्माण स्थल पर विक्रेता की हेसियत से उपस्थित मिलने पर श्री आसकरण उपाध्याय को परिचय देते हुए परिचय पत्र दिखाया गया। मालिक/विक्रेता से वर्ष 2016 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, इन्होंने पहचान पत्र, एफएसएसआई अनुज्ञा पत्र 12216032000314,वेट-03 प्रमाण -पत्र पेश किया।

उपरोक्त दूकान/निर्माण स्थल का निरीक्षण करने पर घी (उत्सव) के 1 लीटर के 48 पैकटस (3 कार्टून) आम जनता को विक्रेय हेतु रखा हुआ था। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाह के विक्रेता को इसकी सूचना जरिये प्रपत्र 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5 ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता एवं गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना वास्ते जांच एफ.एस.एस. एक्ट के तहत कराने हेतु खरीदा जा रहा है। प्रपत्र 5ए पर मेरे, विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर है।

रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को उनके द्वारा बताये गये बाजार भाव से रुपये 1100/- नगद देकर घी (उत्सव) 1 लीटर के 04 पैकटस खरीदी एवं रूपयों की रसीद/केश मेमो प्राप्त की जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा घी (विजेता) 1 लीटर के 4 पैकटस चार नमूना भाग बनाकर लेबल तैयार किया। लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एडी-449 दर्ज करते हुए प्रत्येक लेबल पर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर चारो नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। नमूनों पर एडी-449 चार पेपर स्लिप एडी-449 हस्ताक्षर युक्त जिला अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर चिपकाई एवं चारों नमूनों पर अपने एवं विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये। मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में स्वयं , गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। कार्यालय पहुंच कर फार्म नम्बर 6 की 8 प्रतियां तैयार की। फार्म नम्बर 6 की एक-एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ सिलड किया गया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे मे सिलड कर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का



पता अंकित किया गया। एक सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा दिनांक 29.08.2016 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की।

एडी-449 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 29.08.2016 को एवं चतुर्थ भाग दिनांक 29.08.2016 को जमा कराये गये एवं प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई।

अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक 539-540 दिनांक 21.09.2016 के साथ संलग्न जांच मूल रिपोर्ट एल.एस./1000/एक्ट/2016/1072 दिनांक 07.09.2016 प्रति के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया घी (उत्सव) अमानक स्तर (**Sub-standard**) एवं **The sale of admixture of hydrogenated pure ghee Refined soyabean oil with sesame oil & vegetable is prohibited under Regulation No. 2.3.7 of food safety and standards (Prohibition and Restriction on sales) Regulation, 2011** एवं मिथ्याछाप (**Misbranded**) का होना पाया गया। एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/स्वीकृतिएडी-449/166-67 दिनांक 27.01.2017 के द्वारा प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को परिवाद दायर करने हेतु अधिकृत किया गया है। चूंकि अप्रार्थी ने अमानक स्तर (**Sub-standard**) एवं मिथ्याछाप स्तर (**Misbranded**) **Regulation No. 2.3.7** घी (उत्सव) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51,52,58 में निर्धारित है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दिनांक 28-2-17 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष न्यायालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधी के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबंद किया गया। अप्रार्थी श्री आसकरण उपाध्याय ने अवगत करवाया की वक्त निरीक्षक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान उक्त परिसर/दुकान से घी (उत्सव) आम जनता को विक्रय हेतु पाया गया जो उक्त नमूना सं. एडी-449 है उक्त नमूना संख्या एडी-449 अमानक स्तर (**Sub-standard**) एवं मिथ्याछाप स्तर (**Misbranded**) **Regulation No. 2.3.7** होना पाया गया। मैंने उक्त घी (उत्सव) मैंने बाजार से खरीद किया है मेरे द्वारा उक्ता घी में किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। अतः भविष्य में इस तरह की गलती नहीं करने एवं अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कम से कम जुर्माना लगाने हेतु निवेदन किया है।

आभाहत आधकारा जाधपुर क पत्र क्रमांक 539-540 दिनांक 21.09.2016 क ताच संलग्न जांच मूल रिपोर्ट एल.एस./1000/एक्ट/2016/1072 दिनांक 07.09.2016 प्रति के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया घी (उत्सव) अमानक स्तर (Sub-standard) एवं **The sale of admixture of hydrogenated pure ghee Refined soyabean oil with sesame oil & vegetable is prohibited under Regulation No. 2.3.7 of food safety and standards (Prohibition and Restriction on sales) Regulation, 2011** एवं मिथ्याछाप (Misbranded) का होना पाया गया। एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/स्वीकृतिएडी-449/166-67 निांक 27.01.2017 के द्वारा प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को परिवाद दायर करने हेतु अधिकृत किया गया है। चूंकि अप्रार्थी ने अमानक स्तर (Sub-standard) एवं मिथ्याछाप स्तर (Misbranded) **Regulation No. 2.3.7** घी (उत्सव) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51,52,58 में निर्धारित है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दिनांक 28-2-17 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष न्यायालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधी के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबंद किया गया। अप्रार्थी श्री आसकरण उपाध्याय ने अवगत करवाया की वक्त निरीक्षक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान उक्त परिसर/दुकान से घी (उत्सव) आम जनता को विक्रय हेतु पाया गया जो उक्त नमूना सं. एडी-449 है उक्त नमूना संख्या एडी-449 अमानक स्तर (Sub-standard) एवं मिथ्याछाप स्तर (Misbranded) **Regulation No. 2.3.7** होना पाया गया। मैने उक्त घी (उत्सव) मैने बाजार से खरीद किया है मेरे द्वारा उक्ता घी में किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। अतः भविष्य में इस तरह की गलती नहीं करने एवं अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कम से कम जुर्माना लगाने हेतु निवेदन किया है।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात, खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक राजस्थान जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट फार्म बी संख्या एल.एस./1000/एक्ट/2016/1072 दिनांक 07.09.2016 द्वारा अप्रार्थी द्वारा प्राप्त घी (उत्सव) का



सैम्पल नमूना संख्या एडी-449 जांच रिपोर्ट में अमानक स्तर (Sub-standard) एवं मिथ्याछाप (Misbranded) Regulation No. 2.3.7 होना पाया गया।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री आसकरण उपाध्याय द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के तहत अवमानक पदार्थ बेचने के दोषी है, जिसे लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51,52,58 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। उपरोक्त प्रावधान को मध्य नजर रखते हुए अप्रार्थीगणों को जुर्माने के दण्ड से दंडित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी श्री आसकरण उपाध्याय द्वारा खाद्य मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के कारण उपरोक्त अधिनियम की धारा 51,52,58 के तहत अप्रार्थी श्री आसकरण उपाध्याय पर राशि रूपये 21,000/- (अखरे रूपये इक्कीस हजार मात्र) ... मात्र) की शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्त अप्रार्थी श्री आसकरण उपाध्याय उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णायन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 23/6/17 के एक माह के अन्दर-अन्दर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 23/6/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



क्रमांक :- 1426-1429

(सीमा कविया)
न्याय निर्णायन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट (शहर)
मजिस्ट्रेट (जोधपुर) जोधपुर

दिनांक :- 23/06/2017

प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हे :-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वा. सेवाएँ जयपुर, राजस्थान।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
3. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, जोधपुर
4. आसकरण उपाध्याय पुत्र श्री कन्हैयालाल उपाध्याय (एफ.बी.ओ./मालिक)

मैसर्स- ए0एस0 ट्रेडिंग कम्पनी, नरसिंह जी की प्याउ के पास, माता का थान रोड,
जोधपुर निवासी- नरसिंह जी की प्याउ के पास, माता का थान रोड, जोधपुर

एवं नियम 2011 के धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के कारण उपरोक्त अधिनियम की धारा 51,52,58 के तहत अप्रार्थी श्री आसकरण उपाध्याय पर राशि रूपये 21,000/- (अखरे रूपये द्वींसी हजार मात्र ... मात्र) की शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्त अप्रार्थी श्री आसकरण उपाध्याय उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णायन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 23/6/17 के एक माह के अन्दर-अन्दर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 23/6/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



क्रमांक :- 1426-1429

(सौधा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट (शहर)
मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

दिनांक :- 23/06/2017

प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हे :-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वा. सेवाएँ जयपुर, राजस्थान।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
3. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, जोधपुर
4. आसकरण उपाध्याय पुत्र श्री कन्हैयालाल उपाध्याय (एफ.बी.ओ./मालिक)
मैसर्स- ए0एस0 ट्रेडिंग कम्पनी, नरसिंह जी की प्याउ के पास, माता का थान रोड,
जोधपुर निवासी- नरसिंह जी की प्याउ के पास, माता का थान रोड, जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट (शहर)
मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर